

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, कानपुर/इलाहाबाद/वाराणसी/आगरा/लखनऊ।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।

नगर विकास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 23 नवम्बर, 2016

विषय:- उ०प्र० पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के कार्मिकों, उनके आश्रितों, पुत्र पुत्री एवं पत्नी के नाम चल-अचल सम्पत्तियों तथा अन्य बेनामी सम्पत्तियों का विवरण उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-116एम/नौ-4-13-10ज/13 दिनांक-02.04.2013 तद्वक्रम में निर्गत अनुस्मरण पत्र संख्या-3163/नौ-4-14-10ज/13 दिनांक-14.03.2014 एवं पत्र संख्या-3163(1)/नौ-4-15-10ज/13 दिनांक-15.10.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि समाज एवं सामाजिक व्यवस्था में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार तथा भ्रष्ट आचरण की लगातार मिल रही शिकायतों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-116एम/नौ-4-13-10ज/13 दिनांक-02.04.2013 द्वारा यह आदेश निर्गत किये गये हैं कि विभाग के अधीन समूह घ के कर्मचारियों को छोड़कर शेष सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वयं की तथा उनके आश्रित पुत्र, पुत्री एवं पत्नी के नाम समस्त चल अचल सम्पत्तियों तथा अन्य बेनामी सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण साथ ही विभिन्न बैंको में उनके तथा उनके आश्रितों की जमा धनराशि का विवरण घोषणापत्र के रूप में उपलब्ध करायी जाए। जो अधिकारी/कर्मचारी उक्तानुसार अपनी सम्पत्तियों की घोषणा नहीं करेंगे उन पर कोई दबाव नहीं होगा, परन्तु ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की सम्पत्तियों की जांच हेतु प्रकरण आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा को संदर्भित किया जायेगा। किन्तु अभी तक उक्त निर्देशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की आख्या प्राप्त नहीं हुयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा निर्गत आदेश दि-02.04.13 के अनुपालन में अपने अधीनस्थ नगर पालिका परिषदों/नगर निगमों/विकास प्राधिकरणों में कार्यरत उ०प्र० पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के सभी श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों से वांछित विवरण घोषणा पत्र पर प्राप्त कर समेकित रूप से शासन को प्रत्येक दशा में 01 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव